

ORDER - SHEET

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Case No. 06 of 2017

उप-वेद गृह्य

याचिका मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग

Order or Proceeding in the Court of the Magistrate

Signature of Parties of

Prayer where Necessary

आज आरक्षी केन्द्र - मौ के उपनिरीक्षक / सहायक
उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक श्री रेन्दु सिद्ध अपराध
को 1087 द्वारा थाना प्रभारी के अपराध
को 161/16 अंतर्गत धारा 34 अवकाश 191 दण्डनीय
भा 20 स 0 अधिनियम के अधीन दण्डनीय
अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा एडोपीओ श्री प्रवीण सिंह लिखा जा उप 0।

अभियुक्त / अभियुक्तगण पवन जाटव 8/0 ओमप्रकाश
जाटव उम्र 21 साल निवासी / निवासीगण गारिगट भोदल्या बार्ड 8 04 मौ

धन मौ जिला चिठ्ठा राज्य से अधिवक्ता
उपरिधन। अभियुक्त / अभियुक्तगण को से अधिवक्ता
श्री द्वारा मेमोरेण्डम / दकालतनामा प्रस्तुत
किया

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग
पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया
अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार
भा 20 स 0 / 34 अवकाश अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के
आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा
190-(1) द 20 स 0 के अधीन संज्ञान लिये जाने को आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पंजी 6/17 में दर्ज
किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द 20 स 0 की धारा 207 के अधीन प्रावधानों
के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों की परीक्षा प्रति निशुल्क दिलायी
जाये

चूंकि अपराध जमानत प्रकृति का है अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण
को अर 7000 / - (सात हजार रुपये) की प्रतिनृति व इतनी ही राशि
का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये अभियुक्त को अभिरक्षा के मुक्त
किया जाये

पवन

18.11.17

Date of
order or
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Sighall
Parties
Pleader
necessary

चूंकि मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारंभ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध

धारा 34-अवधि 1-आ0दं0सं0 /
अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं ~~500/-~~ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को ~~7~~ दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति ~~4:5~~ रुपये राजसात किये जायें। संपत्ति ~~4:5~~ मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि ~~500/-~~ रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क्र0 ~~6890~~ रसीद क्र0 दी गई।
अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

A.K. Gupta

Judicial magistrate first class,

Gohad Dist. Bhind (M.P.)

प्राथमिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहाड जिला भिन्द पंजाब